

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज।

(स्थापना शाखा)

निविदा-प्रपत्र

भाड़े पर वाहन रखने के लिए

कार्यालयी ज्ञापांक-3013, दिनांक-26.09.2024 द्वारा भाड़े पर वाहन रखने के लिए निविदा-प्रपत्र प्रकाशित किया गया था। निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन का दर निर्धारण के लिए वाहन मालिक से मुहरबंद लिफाफे में पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक वाहन मालिक दिनांक-03.01.2025 के अपराहन 05 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में निविदा जमा किया जा सकता है। प्राप्त निविदा को दिनांक-10.01.2025 को पूर्वाहन 11 बजे शिक्षा विभाग, गोपालगंज के सभागार में प्राधिकृत निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

निविदा की शर्तें

निविदादाता तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा द्वि-लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत अलग-अलग लिफाफा में रखेंगे। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रहेंगे :-

1. व्यवसायिक वाहन का वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण पत्र।
2. सभी वाहन निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के नाम से पंजीकृत होना चाहिये।
3. निविदादाता फर्म/संस्थान का जी0एस0टी0 निबंधन एवं विगत तीन वर्षों का रिटर्न का प्रमाण पत्र।
4. PAN कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
5. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र।
6. वाहन का बीमा कागजात।
7. वाहन का रोड टैक्स।
8. प्रदूषण एवं फिटनेस प्रमाण पत्र।
9. वाहन का परमिट संबंधी कागजात।
10. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची अथवा डिबार नहीं होने तथा किसी आपराधिक मामलों में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र देना होगा (Notarized Affidavit)।
11. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, गोपालगंज के नाम से रू0 10,000/- (दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रति वाहन जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय निविदा :-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं इसके उपर के स्तर के पदाधिकारी को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के लिए ईंधन सहित एक चालक व्यवसायिक वाहन के लिए अधिकतम मासिक भाड़ा 1500 किलोमीटर तक के लिए 33,000/- (तैंतीस हजार रू0, बोलेरो एवं समकक्ष) मात्र होगी एवं इससे अधिक उपयोग करने पर 08 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से राशि देय होगा। निर्धारित अधिसीमा से कम दर के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं इसके उपर के स्तर के पदाधिकारी के लिए ईंधन सहित एक चालक व्यवसायिक वाहन के लिए अधिकतम मासिक भाड़ा 1500 किलोमीटर तक के लिए 38,000/- (अड़तीस हजार रू0, स्कार्पियो एवं समकक्ष) मात्र होगी एवं इससे अधिक उपयोग करने पर 10रू0 प्रति किलोमीटर की दर से राशि देय होगा। निर्धारित अधिसीमा से कम दर के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

5901
13/12/24

Musant

13/12/24

(ग) वित्तीय निविदा में वाहन का सभी कर सहित दर निम्न **Format** में भर कर दिया जाना है-

क्र०	वाहन का प्रकार	प्रतिमाह (1500 कि०मी०) चालक एवं ईंधन सहित।	1500 कि०मी० से अतिरिक्त चलने पर प्रति कि०मी० की राशि
		वातानुकूलित	वातानुकूलित
1	बोलेरो एवं समकक्ष		
2	स्कार्पियो एवं समकक्ष		

(घ) अन्य शर्तें :-

1. वाहन का निबंधन वर्ष 2022 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा निबंधन बिहार राज्य के अंतर्गत किसी जिला का होना अनिवार्य होगा।
2. वाहन का दैनिक रख-रखाव, चालक का वेतन, मरम्मत का खर्च आदि का वहन वाहन स्वामी को स्वयं करना होगा। वाहन के भुगतान से संबंधित GST एवं TDS की कटौती की जायेगी।
3. वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए। वाहन की जॉच एम०बी०आई द्वारा की जायेगी।
4. वाहन चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति की जिम्मेवारी वाहन स्वामी की होगी।
5. वाहन आकास्मिक चिकित्सा किट, अग्निशमन उपकरण एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिये तथा वाहन सुसज्जित होना चाहिये।
6. वाहन प्रतिदिन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। ससमय वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर वाहन भाड़े में से आवश्यक कटौती की जायेगी।
7. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चलाने का न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जो ड्राइविंग लाईसेन्स जारी करने की तिथि से सत्यापित होना चाहिये।
8. प्रतिनियुक्त चालक के पास एक मोबाईल, बैध नम्बर के साथ होना चाहिए, जिससे विभाग/पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सके।
9. प्रतिनियुक्त चालक साफ-सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि विभाग द्वारा कोई वर्दी पहनने का आदेश दिया जाय तो उसका अनुपालन करेंगे।
10. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उपर्युक्त आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा।
11. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
12. किसी भी प्रकार का विवाद संबंधित निपटारा गोपालगंज न्यायालय में किया जायेगा।

ज्ञापांक 868 / गोपालगंज, दिनांक 12-12-24 / 12/12/24
 प्रतिलिपि:- एम० आई० एस० प्रभारी, बिहार शिक्षा परियोजना, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन० आई० सी०, गोपालगंज से अनुरोध है कि उक्त निविदा को जिला के NIC वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाये।

(योगेश कुमार)
 जिला शिक्षा पदाधिकारी,
 गोपालगंज।

(योगेश कुमार)
 जिला शिक्षा पदाधिकारी,
 गोपालगंज।